अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2019 (RCMS 2019/00131) श्री भीम भारती वार्ड नं. 34, शिव मंदिर शिवालय, पुरानी ढाब के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं 99286–83274) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भीम भारती स्वयं उपस्थित नहीं हुआ हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ के समक्ष सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसे तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री भीम भारती ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> चक 37 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ के प.नं. 40/357, 38/354, 39/378 की 12.019 है. भूमि एवं रोही ढाढियावाली तहसील सूरतगढ के ख. नं 428–457 की 30.246 है. भूमि सन् 1974 में रिसीवर की जाकर रिसीवर तहसील सूरतगढ को नियुक्त किया गया, जिसमें उक्त भूमि की प्रत्येक वर्ष निलामी की गई सन् 1996 तक कुल कितनी राशि एकत्रित हुई, बतायें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने पत्रांक राजस्व/सू.का.अ./2019/580 दिनांक 17.05.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चक 37 पी.बी.एन. के प.नं. 40/357, 38/354, 39/378 की 12.019 है. भूमि एवं रोही ढाढियावाली तहसील सूरतगढ के ख. नं 428—457 की 30.246 है. रिसीवर भूमि की सन् 1974 से 1996 तक कुल कितनी नीलामी राशि प्राप्त हुई, की सूचना चाही है। उक्त पत्रावली कार्यालय अभिलेख में तलाश उपरान्त उपलब्ध नहीं हुई है। अतः रिकॉर्ड के अभाव में सम्भव नहीं है।

अतः आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आप चाहे तो उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समय 30 दिवस में अपील कर सकते है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ

चूंकि तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में जो मूल अभिलेख के अभाव में उक्तानुसार दिनांक 17.05.2019 को दिया गया हे वह उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर मूल रिसिवर पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रही है तो भी उक्त सूचना सम्बन्धित वर्षो की कार्यालय में उपलब्ध कैश बुकों के आधार पर भी प्रार्थी को आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती थी। **इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार, सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि वांछित सूचना अपीलार्थी सम्बन्धित कैशबुकों के आधार पर नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर